फैक्स / महत्वपूर्ण

संख्या - 95 / छः-पु0-15/2022

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रेदश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रेदश।
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रेदश।

गृह-अनुभाग(पुलिस)15 — लखनऊः दिनाँक 02 मार्च, 2022

विषयः- Joint Action Plan on "Prevention of drugs and substance abuse and illicit trafficking" के सम्बन्ध में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद, प्रदाय और वितरण व विनिमयन) अधिनियम, 2003 के प्राविधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किये गये Joint Action Plan on "Prevention of drugs and substance abuse and illicit trafficking" " एक युद्ध नशे के विरुद्ध " के अन्तर्गत देश में बच्चों में मादक द्रव्यों के सेवन के विरुद्ध विभिन्न विभागों, संस्थाओं, एजेंसियों, प्राधिकारियों द्वारा की जा रही कार्यवाही को और अधिक सुदृढ़ एवं आदर्श प्रतिमान स्थापित करने की दिशा में कार्य किये जाने की आवश्यकता पायी गई है। बच्चों को मादक द्रव्यों के सेवन से दूर रखने, विद्यालयों, शैक्षणिक संस्थाओं (यथा- कोचिंग सेन्टर, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, छात्रावास, कौशल प्रशिक्षण केन्द्र और बाल उद्यान आदि स्थानों) पर मादक पदार्थो, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद की बिक्री को रोके जाने के सम्बन्ध मे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा तैयार की गई उक्त संयुक्त कार्ययोजना राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वेबसाइट के लिंक https :// ncpcr.gov.in/ showfile.php? lang=1&level=1&& sublinkid= 2122&lid=2022 पर उपलब्ध है।

2. अतः उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अधिकृत चिकित्सक के आदेश के बिना सार्वजनिक स्थान पर बच्चे को नशीली शराब / मादक औषधि या तम्बाकू उत्पाद देता या दिलवाता है तथा किसी व्यक्ति द्वारा बच्चे से शराब/ड्रग्स/तम्बाकू की सप्लाई करवाना अथवा नशीला शराब या नशीले पदार्थ / मादक औषधि के विक्रय, फुटकर क्रय-विक्रय, साथ रखने, आपूर्ति करने अथवा दुर्व्यापार में बच्चे का उपयोग करने की गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा- 77 एवं 78 के अन्तर्गत प्रभावी विधिक कार्यवाही की जाए साथ ही सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद, प्रदाय और वितरण व विनिमयन) अधिनियम, 2003 की धारा- 6 में की गई व्यवस्था के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति से और किसी शैक्षणिक संस्था की 100 गज की परिधि के भीतर किसी स्थान पर सिगरेट या किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद के विक्रय पर प्रतिषेध है। अतः एक विशेष अभियान चलाकर शैक्षणिक संस्थाओं की 100 गज की परिधि के भीतर सम्बन्धित kiosk व दुकानों को हटाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

Sandeep Tiwari

भवदीय,

Khanda 03/03/2022

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

2805

DIO

2/3/22